भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 527

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

कोयला खदानों की सुरक्षा और संरक्षा

527. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री गजानन कीर्तिकर:
डॉ. पोन गौतम सिगामणि:
श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयला खदानों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कोई दिशानिर्देश हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन दिशानिर्देशों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कोयला खदानों में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(घ) इन दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों की संख्या कितनी है और मृतक व्यक्तियों के परिवारों को कितनी राहत प्रदान की गई है;

(ड.) सरकार द्वारा संपूर्ण देश में कोयला खदानों में सुरक्षा और संरक्षा के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी अनुषंगियों की सभी कोयला खदानों में सुरक्षा संपरीक्षा कराई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सुरक्षा संपरीक्षा के दौरान किन कमियों को चिन्हित किया गया है; और

(ज) सरकार द्वारा देश में कोयला खदानों के सुरक्षा मानकों में सुधार करने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : खानों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य हेतु प्रावधान खान अधिनियम 1952 और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों में किए गए हैं। कोयला खानों पर लागू कानून हैं: (i) खान अधिनियम 1952, (ii) खान नियमावली, 1955, (iii) कोयला खान विनियम, 2017 (iv) खान बचाव

नियम, 1985, (v) खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमावली 1966, (vi) खान क्रेच नियम, 1985, आदि। इसके अलावा, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) दुर्घटनाओं और खनन विधि तथा मशीनरी में प्रौद्योगिकीय प्रगति के आधार पर समय-समय पर परिपत्र जारी करता है।

(ख) : खनन उद्योग में प्रौद्योगिकीय प्रगति के अनुरूप खान श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में बदलावों को शामिल करने के लिए समय-समय पर अधिनियम / नियमों की समीक्षा और इनमें संशोधन किया जाता है। कोयला खान विनियमन (सीएमआर) 1957 को कोयला खान विनियम 2017 के रूप में संशोधित किया गया है और तेल खान विनियमन, 1984 को तेल खान विनियम 2017 के रूप में संशोधित किया गया है। इसके अलावा, खान अधिनियम 1952 को "व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020" में शामिल किया गया है जिसे 29 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया है। यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख से लागू होगा।

(ग) और (घ) : 2019 से 2021 और चालू वर्ष के दौरान कोयला खानों में दुर्घटनाओं की संख्या और घायल व्यक्तियों की संख्या **अनुबंध-I** दी गई है। भारत सरकार द्वारा अधिनियमित कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) किसी भी खान दुर्घटना में मारे गए मृतक के परिवार को **अनुबंध-II** में उल्लिखित विवरण के अनुसार मुआवजा और अन्य वित्तीय राहत आदि प्रदान करती हैं।

(ड.) : कोयला मंत्रालय ने सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की कोयला खानों की सुरक्षा के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। तथापि, कोयला कंपनियां विभागीय सुरक्षा, पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) प्रायोजित सुरक्षा, होमगार्ड, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) जैसी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं ले रही हैं।

(च) और (छ) : खान की सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए प्रत्येक वर्ष स्वेच्छा से खानों का सुरक्षा ऑडिट किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों की सभी 301 उत्पादनरत खानों का सुरक्षा ऑडिट किया गया है। उक्त ऑडिट के दौरान पहचान की गई खान-विशिष्ट कमियों, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए समुचित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

(ज) : डीजीएमएस ने देश में कोयला खानों के सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए और कदम उठाए हैं। खान अधिनियम 1952 और इसके अधीनस्थ कानूनों के प्रावधानों के तहत यथा उपलब्ध उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) कानूनी उपाय:

क. दुर्घटना के कारण और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए दुर्घटना और खतरनाक हादसों की जांच करना और खान प्रबंधन को उपयुक्त उपचारात्मक उपाय सुझाना।

ख. खानों का निरीक्षण: उल्लंघनों, खान या इसके हिस्से में अस्थायी रूकावट के बारे में ध्यान दिलाना; निरीक्षणों के दौरान खान में सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं से संबंधित क़ानून का उल्लंघन देखे जाने पर इसे सुधारने के लिए सुधार नोटिस और प्रतिबंधक आदेश जारी करना।

(ii) विकासात्मक उपाय जैसे मानक निर्धारण, आईएलओ कन्वेंशन की विभिन्न सिफारिशों को अपनाना,

(iii) खानों में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) का आयोजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य प्रशिक्षण प्रदान करना, सुरक्षा सप्ताह मनाना और सुरक्षा अभियान चलाना, बचाव प्रतिस्पर्धा का आयोजन, सुरक्षा प्रबंधन, जागरूकता और सूचना प्रसार में कामगार की भागीदारी को बढ़ावा देना जैसे प्रोत्साहन उपाय।

(iv) तकनीकी उपाय जैसे जोखिम आकलन तकनीकों की शुरूआत और सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करना जिसका उद्देश्य जोखिमों को कम करना और कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, खानों में असुरक्षित पद्धतियों से बचने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की शुरूआत, चिह्नित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षित संचालन के लिए समय-समय पर दिशानिर्देशों के रूप में डीजीएमएस परिपत्र जारी करना।

उपरोक्त के अलावा, कोयला कंपनियों द्वारा कोयला खानों के सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए जा रहे हैं:

1. जोखिम आकलन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाएं (एसएमपी) तैयार करना और इनका कार्यान्वयन।
2. ट्रिगर एक्शन रिस्पांस प्लान (टीएआरपी) के साथ-साथ प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजनाओं (पीएचएमपी) तैयार करना और इसका कार्यान्वयन।
3. स्थल-विशिष्ट जोखिम आकलन आधारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) तैयार करना और इनका अनुपालन।
4. खानों का सुरक्षा ऑडिट करना।
5. विभिन्न सुरक्षा मानकों की निगरानी के लिए ऑनलाइन केंद्रीकृत सुरक्षा निगरानी प्रणाली "सीआईएल सुरक्षा सूचना प्रणाली (सीएसआईएस)" विकसित की गई है।

*****

अनुबंध-I

2019-2022 के दौरान कोयला खानों में दुर्घटना का राज्य-वार विवरण

राज्य	घातक दुर्घटना की संख्या	गंभीर दुर्घटना की संख्या	घायल
2019			
छत्तीसगढ़	7	10	10
झारखंड	11	7	12
मध्य प्रदेश	3	8	8
महाराष्ट्र	3	12	13
ओडिशा	7	2	2
राजस्थान	1	0	0
तेलंगाना	8	143	143
तमिलनाडु	1	0	0
उत्तर प्रदेश	2	0	1
पश्चिम बंगाल	8	11	15
कुल	51	193	204
2020			
छत्तीसगढ़	12	5	5
गुजरात	0	1	1
झारखंड	8	11	16
मध्य प्रदेश	4	5	7
महाराष्ट्र	4	4	4
ओडिशा	5	2	2
तेलंगाना	9	80	87
उत्तर प्रदेश	0	2	3
पश्चिम बंगाल	6	8	14
कुल	48	118	139
2021			
छत्तीसगढ़	5	10	10
झारखंड	7	15	17
मध्य प्रदेश	7	16	16
महाराष्ट्र	4	5	6
ओडिशा	2	3	3
तेलंगाना	7	127	129
तमिलनाडु	2	1	1

उत्तर प्रदेश	1	1	1
पश्चिम बंगाल	10	10	12
कुल	43	188	196
2022 (जून 2022 तक)			
छत्तीसगढ़	2	12	12
झारखंड	6	7	7
मध्य प्रदेश	6	5	5
महाराष्ट्र	2	5	5
ओडिशा	0	4	4
तेलंगाना	2	27	28
पश्चिम बंगाल	7	4	5
कुल	25	64	66

अनुबंध-II

रोजगार से और इसके दौरान हुई किसी भी खान दुर्घटना में मारे गए मृतक के परिवार को मुआवजा और अन्य वित्तीय राहत आदि का भुगतान किया जाता है –

विभागीय कर्मचारी के मामले में –

1. कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत मुआवजे का भुगतान (पिछली बार अधिसूचना एस.ओ. 71 (ई) दिनांक 3 जनवरी, 2020 के माध्यम से संशोधित)।
2. खान दुर्घटना के कारण मारे गए विभागीय कर्मचारी के आश्रित को रोजगार दिया जाता है। यदि रोजगार के लिए कोई पात्र व्यक्ति नहीं है, तो मृतक के परिवार को रोजगार के बदले प्रति माह आर्थिक मुआवजा दिया जाता है।
3. मृतक विभागीय कर्मचारी के आश्रित को विशेष राहत / अनुग्रह राशि के रूप में 15 लाख रु. का भुगतान किया जाता है, जो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम-1923 (2020 तक संशोधित) के तहत देय राशि के अतिरिक्त है। (दिनांक 14.11.2019 के कार्यालय आदेश के माध्यम से राशि में संशोधन किया गया)।
4 अंतिम संस्कार, परिवहन खर्च आदि के लिए मृतक के परिवार को एकमुश्त राशि (सामान्यत: 20,000 रुपए) का तत्काल भुगतान।
5. एनसीडब्ल्यूए-एक्स के अनुसार 1.10.2017 से लाइफ कवर स्कीम (एलसीएस) के तहत 1,25,000/- रुपए का वित्तीय लाभ।
6. एनसीडब्ल्यूए-एक्स के अनुसार 01.10.2017 से रोजगार से और इसके दौरान हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता के मामले में 90,000/- रुपए की अनुग्रह राशि।
7. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार सेवा की अवधि के आधार पर उपदान।
8. अन्य लाभ जैसे सीएमपीएफ नियम के अनुसार पीएफ, सीएमपीएस, 1998 के अनुसार पेंशन, कंपनी (सीआईएल) नियमों के अनुसार ईएल आदि का नकदीकरण।

संविदा कर्मचारी के मामले में –

1. कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत मुआवजे का भुगतान (पिछली अधिसूचना बार एस.ओ. 71 (ई) दिनांक 3 जनवरी, 2020 के माध्यम से संशोधित)।
2. मृतक विभागीय कर्मचारी के आश्रित को विशेष राहत / अनुग्रह राशि के रूप में 15 लाख रु. का भुगतान किया जाता है, जो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम-1923 (2020 तक संशोधित) के तहत देय राशि के अतिरिक्त है। (दिनांक 14.11.2019 के कार्यालय आदेश के माध्यम से राशि में संशोधन किया गया)।
3. सेवा की अवधि के आधार पर उपदान।
4. सीएमपीएफ/ईपीएफ नियम के अनुसार पीएफ जैसे अन्य लाभ।

*****